# कार्यालय प्रमुख अभियंता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
# इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

## –: कार्यालयीन आदेश :–

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक २८/11/2020

क्रमांक 166 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020:– एतद द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक एफ 4–2/2001/1–3 दिनांक 06.09.2003 अनुसार छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, में निहित निर्देश एवं प्रावाधान अनुसार, सहपठित मान.उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा याचिका–WPS No 9778/2019–में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के अध्याधीन रहते हुये, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.06.2020 एवं पत्र क्र. एफ 4–1/2019/1–3 दिनांक 24.06.2020 के परिपालन में विभागीय पुर्नगठित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020, पुर्नसत्यापित बैठक दिनांक 18.11.2020, {छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, विशेषकर नियम–6 (1) से (15)}, को समिति की अनुंशसानुसार, अराजपत्रित–राज्य स्तरीय (कार्यपालिक), सहायक मानचित्रकार को अस्थाई तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, उप अभियंता (सिविल) के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन लेवल–8, 35400–112400 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

| क्र | कर्मचारी का नाम | संवर्ग | वर्तमान पदस्थापना कार्यालय | नवीन पदस्थापना कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री मिलन दास धृतलहरे | अजा | मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र रायपुर | का.अ., लोस्वायां, (सि.) खण्ड रायपुर |

**टीपः–**

1. प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशो का परीक्षण संबंधित वर्ग के पदोन्नति समिति के अधिकारियों द्वारा किया गया है, एवं तद्नुसार पालन किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा, पदोन्नति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. पदोन्नत सहायक मानचित्रकार की पारस्परिक वरिष्ठता नियमानुसार फीडर केडर के अनुसार रहेगी।
4. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश के प्राप्ति की तिथि से 01 माह के भीतर देना होगा, इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम मांना जावेगा। विकल्प प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण नियमो के अंतर्गत कर दिया जावेगा।

28/11/20

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 11919/स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 अटल नगर, दिनांक २८/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, (सिविल/वि.यां) मण्डल ..... की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोस्वायांवि, खण्ड/परि.खण्ड/वि.यां खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्री मिलन दास धृतलहरे, सहायक मानचित्रकार, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र रायपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
5. कर्यालयीन आदेश।
6. मास्टर फाईल।

27/1/20

प्रमुख अभियंता
O/C लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ अटल नगर

# कार्यालय प्रमुख अभियंता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
# इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

## –: कार्यालयीन आदेश :–

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक २४ / 11 / 2020

क्रमांक 167 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020:– एतद द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक एफ 4–2/2001/1–3 दिनांक 06.09.2003 अनुसार छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, में निहित निर्देश एवं प्रावाधान अनुसार, सहपठित मान.उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा याचिका–WPS No 9778/2019–में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के अध्याधीन रहते हुये, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.06.2020 एवं पत्र क. एफ 4–1/2019/1–3 दिनांक 24.06.2020 के परिपालन में विभागीय पुर्नगठित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020, पुर्नसत्यापित बैठक दिनांक 18.11.2020, {छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, विशेषकर नियम–6 (1) से (15)}, को समिति की अनुंशसानुसार, अराजपत्रित–राज्य स्तरीय, निज सहायक को अस्थाई तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, वरिष्ठ् निज सहायक के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन लेवल–10, 43200–136500 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

| क | कर्मचारी का नाम | संवर्ग | वर्तमान पदस्थापना कार्यालय | नवीन पदस्थापना कार्यालय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री मुस्तकीम बेग | अनारक्षित | मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र रायपुर | प्रमुख अभियंता, अटल नगर नवा रायपुर |

**टीपः–**

1. प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशो का परीक्षण संबंधित वर्ग के पदोन्नति समिति के अधिकारियों द्वारा किया गया है, एवं तद्नुसार पालन किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा, पदोन्नति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. पदोन्नत निज सहायक की पारस्परिक वरिष्ठता नियमानुसार फीडर केडर के अनुसार रहेगी।
4. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश के प्राप्ति की तिथि से 01 माह के भीतर देना होगा, इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जावेगा। विकल्प प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण नियमो के अंतर्गत कर दिया जावेगा।

23/11/20

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 11960 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 अटल नगर, दिनांक २४/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, (सिविल/वि.यां) मण्डल ..... की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोस्वायांवि, खण्ड/परि.खण्ड/वि.यां खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
4. सबंधित श्री मुस्तकीम बेग, निज सहायक, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र रायपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
5. कर्यालयीन आदेश।
6. मास्टर फाईल।

25/11/20

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

O/C

# कार्यालय प्रमुख अभियंता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
# इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर

## –: कार्यालयीन आदेश :–

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28 / 11 / 2020

क्रमांक 168 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 नवा रायपुर :– छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के (वित्त निर्देश 11/08) द्वारा जारी परिपत्र कमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/08/दिनांक 28.04.2008, परिपत्र कमांक/08/सी–2802/वित्त/ नियम/चार/2009, रायपुर दिनांक 15.01.2009, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 10–1/2010/1–3 दिनांक 04.03.2010, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक 369/एफ–2013/25–00206/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 16.09.2014 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक 481/एल/2014/71–00302/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 16.12.2014 एवं परिपत्र कमांक 401/एल 2018–71–00727/वित्त/नियम/चार दिनांक 08.08.2018 (43/2018) तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (असाधारण) सेवा भर्ती नियम दि. 30.12.2016 से प्रभावशील है के नियम–5 एवं नियम–19 के अंतर्गत छानबीन समिति के अनुशंसा दिनांक 18.11.2020 के अनुसार निम्नलिखित सहायक ग्रेड–1 संवर्ग को उनके कार्यग्रहण करने के दिनांक से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत समयमान–वेतनमान नियमानुसार देय हेतु स्वीकृत किया जाता है। सेवा अभिलेखों की जांच कर वित्त विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

| क्र. | कर्मचारी का नाम | पदनाम | शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि | पदस्थापना स्थान | 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने का दिनांक | प्रभावशील दिनांक | तृतीय समयमान वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान रूपये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती चन्द्रज्योति रामटेके | सहायक ग्रेड–1 | 02-09-1989 | मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र रायपुर | 02-09-2019 | 02-09-2019 | लेवल–8, 35400–112400 |

1. वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत् रहेगी।
2. समयमान–वेतनमान के फलस्वरूप उपरोक्त कर्मचारियों के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

28/11/20
(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

O/C

पृ0क्र. 11921 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 28/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित श्रीमती चन्द्रज्योति रामटेके, सहायक ग्रेड–1, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन आदेश नस्ती।
4. मास्टर फाईल।

28/11/20
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

O/C

# कार्यालय प्रमुख अभियंता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
# इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर
## –: कार्यालयीन आदेश :–

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28 / 11 / 2020

क्रमांक 169 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 नवा रायपुर :– छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के (वित्त निर्देश 11/08) द्वारा जारी परिपत्र कमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/08/दिनांक 28.04.2008, परिपत्र कमांक/08/सी–2802/वित्त/ नियम/चार/2009, रायपुर दिनांक 15.01.2009, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 10–1/2010/1–3 दिनांक 04.03.2010, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक 369/एफ–2013/25–00206/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 16.09.2014 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक 481/एल/2014/71–00302/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 16.12.2014 एवं परिपत्र कमांक 401/एल 2018–71–00727/वित्त/नियम/चार दिनांक 08.08.2018 (43/2018) तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (असाधारण) सेवा भर्ती नियम दि. 30.12.2016 से प्रभावशील है के नियम–5 एवं नियम–19 के अंतर्गत छानबीन समिति के अनुशंसा दिनांक 18.11.2020 के अनुसार निम्नलिखित भृत्य संवर्ग को उनके कार्यग्रहण करने के दिनांक से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत समयमान–वेतनमान नियमानुसार देय हेतु स्वीकृत किया जाता है। सेवा अभिलेखों की जांच कर वित्त विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

| क्र. | कर्मचारी का नाम | पदनाम | शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि | पदस्थापना स्थान | 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने का दिनांक | प्रभावशील दिनांक | प्रथम समयमान वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान रूपये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती सुषमा महंत | भृत्य | 28-08-2009 | कार्या.मु.अ., परिक्षेत्र रायपुर | 28-08-2019 | 28-08-2019 | लेवल–2, 16100–50900 |
| 2. | श्री खेमलाल साहू | भृत्य | 11-02-2010 | कार्या. प्र.अ., नवा रायपुर | 11-02-2020 | 11-02-2020 | लेवल–2, 16100–50900 |

1. वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत् रहेगी।
2. समयमान–वेतनमान के फलस्वरूप उपरोक्त कर्मचारियों के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

25/11/20

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

o/c

पृ0क्र. 11922 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 28/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित श्री/श्रीमती ..... कार्यालय ....., लोस्वायांवि, .....की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यालयीन आदेश नस्ती।
4. मास्टर फाईल।

27/11/20

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

o/c

# कार्यालय प्रमुख अभियंता
# लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
# इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर
## —: कार्यालयीन आदेश :—

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28 / 11 / 2020

क्रमांक 170 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 नवा रायपुर :— छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के (वित्त निर्देश 11/08) द्वारा जारी परिपत्र कमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/08/दिनांक 28.04.2008, परिपत्र कमांक/08/सी—2802/वित्त/ नियम/चार/2009, रायपुर दिनांक 15.01.2009, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 10—1/2010/1—3 दिनांक 04.03.2010, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक 369/एफ—2013/25—00206/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 16.09.2014 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक 481/एल/2014/71—00302/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 16.12.2014 एवं परिपत्र कमांक 401/एल 2018—71—00727/वित्त/नियम/चार दिनांक 08.08.2018 (43/2018) तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (असाधारण) सेवा भर्ती नियम दि. 30.12.2016 से प्रभावशील है के नियम—5 एवं नियम—19 के अंतर्गत छानबीन समिति के अनुशंसा दिनांक 18.11.2020 के अनुसार निम्नलिखित अनुरेखक संवर्ग को उनके कार्यग्रहण करने के दिनांक से 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत समयमान—वेतनमान नियमानुसार देय हेतु स्वीकृत किया जाता है। सेवा अभिलेखों की जांच कर वित्त विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

| क्र. | कर्मचारी का नाम | पदनाम | शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि | पदस्थापना स्थान | 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने का दिनांक | प्रभावशील दिनांक | द्वितीय समयमान वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान रूपये |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री किशोर गेडाम | अनुरेखक | 14-11-1996 | सि.खण्ड बिलासपुर | 14-11-2016 | 14-11-2016 | लेवल—7, 28700—91300 |
| 2. | श्री आर.पी. लिमजे | अनुरेखक | 12-01-1996 | सि.खण्ड जशपुर | 12-01-2016 | 12-01-2016 | लेवल—7, 28700—91300 |

1. वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत् रहेगी।
2. समयमान—वेतनमान के फलस्वरूप उपरोक्त कर्मचारियों के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

28/11/20
(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
O/C प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

पृ0क्र. 11923 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 28/11/2020

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य अभियंता, लोस्वायांवि, परिक्षेत्र बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, मण्डल बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता, लोस्वायांवि, खण्ड, बिलासपुर/जशपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्री किशोर गेडाम/श्री आर.पी. लिमजे, अनुरेखक, कार्यालय का.अ., लोस्वायांवि, खण्ड, बिलासपुर/जशपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन आदेश नस्ती।
6. मास्टर फाईल।

28/11/20
प्रमुख अभियंता
O/C लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर